


बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग
मत्स्य बीज उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों के लिए विशेष योजना

राज्य सरकार ने मत्स्य पालकों के लिए उन्नत नश्त की मत्स्य अंगुलिकाएँ अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की एक विशेष योजना तैयार की है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू है।

मत्स्य बीज उत्पादकों की योजना :-

मत्स्य बीज उत्पादक कम से कम 10–15 ग्राम तक के अंगुलिकाओं का अपने नर्सरीयों में रियर (rear) करेंगे। प्रत्येक मत्स्य बीज उत्पादक को अधिकतम एक हेक्टेयर जलक्षेत्र में ही मत्स्य अंगुलिकाओं के उत्पादन हेतु चयन किया जाएगा। मत्स्य बीज उत्पादक एक हेटो जलक्षेत्र से अधिकतम 1.25 लाख मत्स्य अंगुलिकाएँ (10 से 15 ग्राम वजन का) ही अपने नर्सरी/रियरिंग तालाब से उत्पादन एवं वितरण करेंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा मांग पत्र इसी आधार पर निर्गत होगा। तत्पश्चात ही किसानों को जिला मत्स्य पदाधिकारी के निर्देश पर अंगुलिका बेचेंगे।

मत्स्य बीज उत्पादकों के चयन हेतु आवश्यक अहर्ता :-

- यह योजना केवल तालाब में अंगुलिकाओं के संचयन के लिए ही है।
- मत्स्यबीज उत्पादक अपने आवेदन के साथ अपने नर्सरी स्पेस का भूमिस्वामित्व प्रमाण-पत्र/पट्टा संलग्न करेंगे।
- ऐसे मत्स्यबीज उत्पादक जिन्होंने मत्स्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हे चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।
- हैचरी ऑनर भी इस योजना में मत्स्यबीज उत्पादक के रूप में आवेदन कर कर सकते हैं।
- बीज उत्पादकों के साथ विहित प्रपत्र में एकरारनामा करना होगा।

मत्स्य बीज उत्पादकों के द्वारा अंगुलिकाओं का उत्पादन के पश्चात सर्वप्रथम अंगुलिकाओं को उन मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराना होगा जिनको जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा चिन्हित किया गया है। जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा ससमय मत्स्य पालकों की सूची उपलब्ध नहीं कराने पर बीज उत्पादक अंगुलिकाओं का विक्रय अपने स्तर से बाजार में करने के लिए खतंत्र होंगे जिसके लिए अनुदान देय नहीं होगा।

मत्स्य पालकों को अनुदानित दर पर अंगुलिकाओं की उपलब्धता :-

मत्स्य बीज अंगुलिकाएँ प्राप्त करने के लिए इच्छुक मत्स्य पालक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण को मांग पत्र/आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अपने तालाब का पट्टा/भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र को संलग्न कर जलक्षेत्र का उल्लेख करते हुए समर्पित करेंगे। करेंगे। एक मत्स्यपालक/मत्स्यजीवी सहयोग समिति के एक सदस्य को अधिकतम एक हेक्टेयर (ग्रुप में अधिकतम दो हेक्टेयर में) जलक्षेत्र में अंगुलिकाओं को संचयन करने हेतु ही अनुदान की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रति हेक्टेयर 5000 अंगुलिका की दर से, उनके तालाब के रकबा के आधार पर बीज की गणना की जाएगी। निजी क्षेत्र के मत्स्य पालक/मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य द्वारा मत्स्य बीज उत्पादक को अंगुलिकाओं का 50 प्रतिशत मूल्य (₹ 2 प्रति अंगुलिका) का भुगतान बैंक ड्रॉफ्ट, चेक-अथवा उनके बैंक खाते में बैंक रिस्लिप से किया जाएगा। राशि का नगद भुगतान प्रतिबन्धित रहेगा। शेष आधी राशि हेतु मत्स्य बीज उत्पादक मत्स्य पालक विकास अभिकरणों (जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी) को बेचे गए अंगुलिकाओं का बौरा प्रस्तुत करने के उपरान्त जिसमें वितरण करने वाले तथा वितरण के समय उपरिथित सरकारी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर दर्ज होगा, अभिकरण द्वारा एक पक्ष के अन्दर भौतिक जाँचोपरान्त अनुदान की राशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा मत्स्य पालक के खाते में भुगतान किया जाएगा। जिन मत्स्य पालकों का वर्ष 2014–15 में अंगुलिकाओं की आपूर्ति की गई है, वे वर्ष 2015–16 में योजनान्तर्गत चयन के पात्र नहीं होंगे।

उन्नत मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन से मछली उत्पादन में गुणात्मक बढ़ोत्तरी होगी तथा आमदनी बढ़ेगी। विस्तृत विवरण मत्स्य पशु एवं मत्स्य रासाधन(मत्स्य) विभाग के स्वीकृत्यादेश रांख्या 01 दिनांक 11.06.2015 के द्वारा निर्गत है जिसे विभागीय वेब साइट <http://ahd.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।

आवेदन का प्रपत्र

आवेदक का नाम :

पिता का नाम :

स्थायी पता :

संपर्क दूरभाष संख्या :

उपलब्ध जलक्षेत्र का खाता, खेसरा तथा रकबा (एकड़ में)

उपलब्ध जलक्षेत्र का लोकेशन : —

प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त घोषणाएँ सही हैं तथा उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए निर्धारित शर्तों का मेरे द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

अनुलग्नक: यथोक्त।

आवेदक का हस्ताक्षर

अपना आवेदन संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को विज्ञापन प्रकाशन के एक पक्ष के भीतर सुनिश्चित करेंगे।

विशेष जानकारी के लिए अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय अथवा